ज्ञअनुसूची 14—फारम सं०—562।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक—1941 का नियम 129)

आदेश—पत्रक — ....ता०..से..तक

जिला— लखीसराय, संख्या —50/2015—16 सन् ....

केश का प्रकार :— समपहरण वाद, राज्य बनाम राधा स्वीट्स हाउस, प्रो0—राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9-11-15	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक—644/आ0 दिनांक—03.11.2015 द्वारा कवैया थाना कांड सं0—626/15 दिनांक—18.09.2015 के अतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री अरूण कुमार, पणन पदाधिकारी, नगर परिषद्—सह—अंचल अधिकारी, लखीसराय के पत्रांक—13/आ0, दिनांक—27.10.15 में उल्लेख है कि दिनांक—17.09.2015 को संध्या 06:00 बजे लखीसराय नगर में गैस सिलेन्डर का कालाबाजारी करने/दुरूपयोग करने घरेलू गैस सिलेन्डर से छोटे—छोटे गैस सिलेन्डर में अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हलसी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चानन/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चानन के नेतृत्व में अंचल गार्ड के साथ छापामारी किया गया। छापेमारी के क्रम में राधा स्वीट्स हाउस, प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पे0—छोटेलाल गुप्ता, सा0—दालपट्टी, नया बाजार, लखीसराय के होटल प्रतिष्ठान में इण्डेन का घरेलू गैस सिलेन्डर 14.2 Kg. के साथ बड़ा चूल्हा—1, रेगुलेटर पाईप के साथ—1 पकड़ा गया। जब्त गैस सिलेन्डर एवं अन्य सामग्री को कवैया थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि होटल संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलिन्डर का होटल प्रतिष्ठान में उपयोग किया जाता है। अतः राधा स्वीट्स हाउस, प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पे0—छोटेलाल गुप्ता, सा0—दालपट्टी, नया बाजार, लखीसराय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा—7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्यक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त राधा स्वीट्स हाउस, प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पे0—छोटेलाल गुप्ता, सा0—दालपट्टी, नया बाजार, लखीसराय द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। आदेश की प्रति अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, कवैया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। अभिलेख दिनांक– 25-11-15 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक–...1012.......विधि, दिनांक–09-11-15 प्रतिलिपि :– अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, कवैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	